

**उत्तराखण्ड शासन**

**औद्योगिक विकास अनुभाग-1**

**संख्या: १४५५/VII-1/16/68-ख/15**

**देहरादून : दिनांक: १३ नवम्बर, 2016**

**कार्यालय ज्ञाप**

शासन के कार्यालय संख्या-844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 प्रत्यापित की गई, जिसमें कार्यालय ज्ञाप संख्या-1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किय गये हैं, में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**बिन्दु-4 (ख) का संशोधन :-**

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु-4(ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>
<b>वर्तमान प्रावधान</b>	<b>एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान</b>
<p><b>बिन्दु-4(ख)</b></p> <p>निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू-स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू-स्वामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। रु0 5,00,000/- (रु0 पाँच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।</p>	<p><b>बिन्दु-4(ख)</b></p> <p>निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे का हस्तान्तरण या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू-स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू-स्वामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। क्षेत्रफल के आधार पर हस्तान्तरण शुल्क निम्नवत होगा :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02 है 0 से 05 है 0 तक रु0 5.00 लाख</li> <li>05 है 0 से 20 है 0 तक रु0 10.00 लाख</li> <li>20 है 0 से अधिक हेतु रु0 20.00 लाख</li> </ul>

**बिन्दु-6 (तीन) (क) का संशोधन :-**

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु-6(तीन)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में तिंगा गंगा निगम रखते हुए अर्थात्

<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>
<b>वर्तमान प्रावधान</b>	<b>एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान</b>
<p><b>बिन्दु सं० ६ (तीन)(क)</b></p> <p>निजी नाप भूमि में भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। आशय पत्र की शर्तों को पूर्ण कराने के पश्चात् शासन द्वारा खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा।</p>	<p><b>बिन्दु सं० ६ (तीन)(क)</b></p> <p>(1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति/अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।</p>

(2) आशय पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल के सापेक्ष भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित शत प्रतिशत सहमति/अनापति, जो राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।  
परन्तुक जिस आवेदित भूमि पर भूस्वामियों की अनापति प्राप्त नहीं है, ऐसी भूमि को पृथक किया जाना होगा, इस प्रकार से संस्तुत की जाने वाली भूमि न्यूनतम 2.00 हेक्टेकैरी से कम नहीं होनी चाहिये।

आज्ञा से,  
(शीलशंखगीली)  
सचिव